

प्रारूप एस.एस.पी. I भाग IV

आय का घोषणा पत्र

(सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिये)

आवेदक सम्बन्धी आवश्यक सूचना (वैकल्पिक बिन्दु को ✓ चयन करें)

फोटो

- पेंशन का प्रकार :- वृद्धावस्था विधवा/परि./तलाकशुदा विशेष योग्यजन अन्य
- प्रार्थी का नाम पिता/पति का नाम आयु वर्ष माह
- निवास स्थान का पूर्ण पता
तहसील जिला पिन कोड
 - स्वयं/स्वयं की एवं पति/पत्नी की समस्त स्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय का विवरण :-

(1) कृषि भूमि (.....) आदि से आय रु.	(2) वृत्ति, सेवा, लाभ, अनुवान आदि से आय रु.
(3) वेतन, पेंशन, नत्ते, मानदेय, नियोजन, मजदूरी, आदि से आय रु.	(4) मशीनरी, किराये, दुकान, कारोबार, व्यवसाय, ब्याज, लामांष से आय रु.
(5) अन्य स्रोतों से आय रु.	कुल वार्षिक आय रु.

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही हैं।

दिनांक

प्रार्थी का नाम व हस्ताक्षर

उत्तरदायी व्यक्ति का साक्ष्य प्रमाण पत्र

मैं शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि प्रार्थी/प्रार्थीया पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी को भली प्रकार से जानता/जानती हूँ। प्रार्थी/प्रार्थीया द्वारा उपरोक्तानुसार की गई घोषणा का मैं साक्षी हूँ। मेरी जानकारी में उक्त वर्णित आय के अलावा प्रार्थी/प्रार्थीया के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

हस्ताक्षर/उत्तरदायी गवाह

नाम

(पद नाम मय दिनांक)

नोट :- उत्तरदायी व्यक्ति यथा — संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/राजपत्रित अधिकारी/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/ग्राम सेवक/पटवारी/महापौर/नगर निगम सदस्य/वार्ड परिषद/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/कर्मचारी से अभिसभा करवाएं।

प्रारूप एस.एस.पी. । भाग IV

शपथ पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मेरी/मेरी एवं मेरे
पति/पत्नी की (जो भी लागू हो) समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक
आय रु अक्षरे रु.
हैं।

उक्त शपथ पत्र मेरी निजी जानकारी से लिखा गया है। जो सही
है। इसमें कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। और न ही असत्य लिखा
गया है। ईश्वर साक्षी हैं। इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य व
शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का गलत मिथ्या होना दण्ड
संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

हस्ताक्षर एवं नाम शपथग्रहिता

पेंशन हेतु समेकित जाँच एवं अभिशंषा प्रपत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. प्रार्थी की पूर्व में पेंशन स्वीकृत नहीं है और ग्राम पंचायत कार्यालय में भी दर्ज नहीं है।
2. प्रार्थी के परिवार में सरकारी कर्मचारी नहीं है।
3. प्रार्थी आयु, आय व आर्थिक सक्षमता की दृष्टि से पेंशन योग्य है।

ग्राम विकास अधिकारी

2. प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. प्रार्थी के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं है।
2. प्रार्थी के हिस्से में राजस्व रेकॉर्ड अनुसार बीघा भूमि सिंचित/असिंचित आती है।
3. प्रार्थी, आयु, आय व आर्थिक सक्षमता की दृष्टि से पेंशन योग्य है।

हस्ताक्षर पटवारी